पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 111/2024 **दिनांक- 04.04.2024**

प्रेस नोट

थाना तहबरपुर

छेड़खानी करने का आरोपी बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरणः-

दिनांक 16.02.2024 को वादिनी मुकदमा थाना तहबरपुर जिला आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी एक बाल अपचारी थाना तहबरपुर आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा की 14 वर्षीय पुत्री के साथ छेड़खानी की गयी, मना करने पर गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 36/2024 धारा 34,323,354,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम 01 बाल अपचारी आदि 05 नफर निवासीगण ग्राम नैपुरा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः—

दिनांक 04.04.2024 को उ0नि0 दशरथ उपाध्याय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बालअपचारी को सोफीपुर तिराहे के पास से समय 13.15 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

थाना – मेंहनाजपुर

वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना:-

दिनांक 03.04.24 को वादी मुकदमा विजय कुमार पुत्र द्वारिका प्रसाद ग्राम महुआपार जो लेखपाल के पद पर कार्यरत है जो समय लगभग 01.00 PM को शिवपूजन यादव पुत्र बनारसी यादव के द्वारा दिया गया शिकायती प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित खलिहान व भीटा की पैमाइश करने हेतु ग्राम महुआपार परगना देवगांव थाना मेहनाजपुर जिला आजमगढ मे गया था उसी समय अवधराज सिंह पुत्र दशरथ सिंह ग्राम महुआपार थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ गाली गलौज देने लगे और आवेदक के हाथ से बंदोबस्ती नक्शा छीनकर फाड़ दिये तथा सरकारी कार्य मे बाधा पैदा कर दिये और जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 43/24 धारा- 353,504,506,427 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 04.04.24 को उ0नि0 मय हमराह के द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अवधराज सिंह पुत्र दशरथ सिंह निवासी ग्राम महुआपार थाना मेहनाजपुर आजमगढ को महुआपार तिराहे के पास से समय 13.25 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग–

1-मु0अ0सं0 43/24 धारा- 353,504,506,427 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास :-

1- मु0अ0सं0 43/24 धारा- 353,504,506,427 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1- अवधराज सिंह पुत्र दशरथ सिंह निवासी ग्राम महुआपार थाना मेहनाजपुर आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. उ0नि0 कमालुद्दीन थाना मेहनाजपुर ,आजमगढ़
2. हे0का0 संजय सिंह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

थाना जहानागंज

चोरी गये बाइक के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार व एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना का विवरण –

दिनांक 28.03.2024 को वादी भानू प्रताप यादव पुत्र श्री राम यादव ग्राम सोनहरा पोस्ट ओडराई थाना दुल्लहपुर जिला गाँजीपुर नें थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि दि0 28/03/24 समय लगभग 11 बजे अज्ञात चोर द्वारा वादी मुकदमा के कमरे के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल नं0 UP61AH9707 को चुरा लिया गया है, जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0-132/23 धारा 379 भादवि,बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 04.04.24 को उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त अंश जायसवाल पुत्र अजीत जायसवाल ग्रा0 चण्डेशर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को चोरी गये मोटरसाइकिल के साथ अकबेलपुर तिराहे से समय करीब 9.05 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411/420 भादवि की बढ़ोत्तरी गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0-132/23 धारा 379,411,420 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास - मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी – एक मोटरसाइकिल जिसपर फर्जी नम्बर प्लेट लगा हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-अंश जायसवाल पुत्र अजीत जायसवाल ग्रा0 चण्डेशर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष

2- एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 मुरारी मिश्र थाना जहानागंज आजमगढ़
2. हे0का0 प्रमोद कुमार यादव थाना जहानागंज आजमगढ़
3. हे0का0 जितेन्द्र यादव थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना जहानागंज

चोरी गये रूपये, अवैध असलहा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण –

दिनांक 29.03.2024 को वादी सुबास यादव पुत्र कल्लू यादव ग्राम अस्पालपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ नें थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 28/29.03.24 की रात्रि में समय करीब 12.30 बजे रात में अज्ञात चोरो द्वारा मेरे मकान में सेध मारकर पन्द्रह हजार रुपया चोरी कर लिया गया है, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-135/24 धारा 457.380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था।

मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान अभियुक्त सत्य प्रकाश चौहान पुत्र स्व0 रामबृक्ष चौहान निवासी मित्तूपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष का नाम प्रकाश में आया है। जिसके क्रम में-

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 04.04.2024 को उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव मय हमराह को सूचना मिली कि ग्राम असपालपुर मे दिनांक 28/29/3/24 की रात्रि मे हुई चोरी का चोरी करने वाले लोगो मे एक ब्यक्ति मित्तूपुर कम्पोजित विद्यालय के बगल मे पोखरे के पास चोरी करने के उद्देश्य से खड़ा है तथा किसी का इन्तजार कर रहा है उस ब्यक्ति के पास एक तमंचा व कारतूस भी है। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया, पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम सत्य प्रकाश चौहान पुत्र स्व0 रामबृक्ष चौहान निवासी मित्तूपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष बाताया तथा उसके कब्जे से एक तमंन्चा .303 बोर एक .303 बोर जिन्दा कारतूस व 1500 रू0 बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा में धारा 411 IPC की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त सत्य प्रकाश चौहान उपरोक्त को समय करीब 04.00 बजे सुबह में हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1.मु0अ0सं0-135/24 धारा 457,380,411 भादवि 2.मु0अ0सं0 144/24 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास - मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी – 01 तमन्चा .303 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .303 बोर व चोरी का 1500 रुपये

गिरफ्तार अभियुक्त - सत्य प्रकाश चौहान पुत्र स्व0 रामबृक्ष चौहान निवासी मित्तूपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1.उ0नि0 बेचू प्रसाद यादव मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना दीदारगंज

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक- 04/04/2024 को उ0नि0 मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान सुघरपुर से एक अभियुक्त मो0 इसरार पुत्र मंसूर ग्राम बरैया काजी थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर उम्र 32 वर्ष व अस्थाई पता ग्राम सुघरपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को 01 तमंचा .315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर को समय 8.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0- 90/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0

गिरफ्तार अभियुक्त–

1-मो0 इसरार पुत्र मंसूर ग्राम बरैया काजी थाना सराय ख्वाजा जनपद जौनपुर उम्र 32 वर्ष व अस्थाई पता ग्राम सुघरपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1-एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	90/2024	3/25 आर्म्स एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़
2	132/16	302/201/120बी भादवि व 25 आर्म्स एक्ट	सरायख्वाजा	जौनपुर
3	309/07	489बी/489सी	लाइन बाजार	जौनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1 प्र0नि0 अखिलेश कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़

2. वउ0नि0 अनिल कुमार सिंह , थाना दीदारगंज आजमगढ़

3. का0 प्रदीप कुमार सोनी थाना दीदारगंज आजमगढ़

थाना सरायमीर

28 किलो ग्राम प्रतिबन्धित मांस के साथ अभियुक्ता गिरफ्तार, 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

आज दिनांक 04.04.2024 को प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह व रात्रि मोबाइल उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह को सूचना मिली कि ग्राम बखरा में साकिब पुत्र फारूख के घर पर प्रतिन्धित मांस की बिक्री हो रही है। प्र0नि0 सरायमीर मय फोर्स द्वारा ग्राम बखरा से 1. मोमिना पत्नी स्व0 फारूख निवासी ग्राम बखरा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष को 01 चापड़ के साथ व 2. एक अपचारी पुलिस अभिरक्षा में को समय करीब 06:15 बजे हिरासत मे लिया गया तथा अंधेरे का फायद उठाकर साकिब पुत्र स्व0 फारूख निवासी ग्राम बखरा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ मौके से फरार हो गया। मौके से 28 किलोग्राम प्रतिबन्धित पशु का मांस, 01 तराजू, एक-एक किलो के 02 बाट, 01 ठीहा बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-163/2024 धारा 3/5/8 गोवध नि0अधि0 व 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्ताओं का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

बरामदगी- 28 किलो ग्राम प्रतिबन्धित पशु का मांस, 01 तराजू, एक-एक किलो के 02 बाट, 01 ठीहा, 01 चापड

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0-163/2024 धारा 3/5/8 गोवध नि0अधि0 व 4/25 आयुध अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.मोमिना पत्नी स्व0 फारूख निवासी ग्राम बखरा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष।

2. 01 बाल अपचारी थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र करीब 15 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

फरार अभियुक्त-

1- साकिब पुत्र स्व0 फारूख निवासी ग्राम बखरा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय,का0 शशिकान्त तिवारी, का0 चन्दन कुमार, का0 अजीत यादव, म0का0 संजू सिंह,थाना सरामीर,आजमगढ़।

2.उ0नि0 अखिलेश यादव, का0विक्रम यादव, का0 इंग्लेश यादव, का0 रविन्द्र कुमार, का0 उपेन्द्र यादव, थाना सरायीर,आजमगढ़।

थाना- कोतवाली

दुष्कर्म करने का एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना –

दिनांक 15.03.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी की लड़की को विपक्षी 02 बाल अपचारी थाना सिधारी जिला आजमगढ़ के सहयोग से वादिनी मुकदमा की नाबालिक पुत्री को बहला फुसालकर भगा ले गया। 30 हजार रूपया और चार थान जेवर मंगलसूत्र , कान का जेवर सोने का , पायल सोने की अंगूठी लेकर गयी है। के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 146/24 धारा 363,366,120बी,376 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 4.4.24 को उ0नि0 विपिन कुमार सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी थाना घोसी जनपद मऊ को समय 11.50 बजे गोल्डेन फार्च्यून रोडवेज बस स्टैण्ड से नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना- फूलपुर

चोरी गये मोबाइल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 3.4.2024 को वादी मुकदमा हौशिला यादव पुत्र स्व0 अंगद यादव ग्राम नोनियाडीह थाना-फूलपुर,जिला आजमगढ़ ने थाना फूलपुर पर लिखित तहरीर दिया कि अज्ञात द्वारा वादी मुकदमा के घर से दो मोबाइल (एक सैमसग व एक मोबाइल ओप्पो कम्पनी) चुरा ले गये है, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-163/2024 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत है। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त राधेश्याम मौर्य़ा पुत्र शिवकुमार मौर्या निवासी लोनियाडीह थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष का नाम प्रकाश में आया है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 04.04.2024 को उ0नि0 गौतम कुमार सरोज मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राधेश्याम मौर्य़ा पुत्र शिवकुमार मौर्या निवासी लोनियाडीह थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को चोरी गये 02 मोबाइल के साथ नेवादा मोड़ से समय 11.30 बजे को हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 163/2024 धारा 380/411 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः- राधेश्याम मौर्य़ा पुत्र शिवकुमार मौर्या निवासी लोनियाडीह थाना फूलपुर आजमगढ़

बरामदगी का विवरणः- चोरी की 02 मोबाइल

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 गौतम कुमार सरोज व का0 का0 महेन्द्र कुमार थाना फूलपुर आजमगढ़

थाना कन्धरापुर

धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक टिपण्णी का वीडियो बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 4.04.2024 को वादी मुकदमा उ0नि0 रमेश कुमार ने लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 4.4.24 को विपक्षी काशी नाथ यादव पुत्र राम अजोर यादव निवासी ग्राम विशौली थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक टिपण्णी का वीडियो बनाया गया, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 95/24 धारा 153A/505(2) भादवि० व 67 आईटी एक्ट बनाम काशी नाथ यादव पुत्र राम अजोर यादव निवासी ग्राम विशौली थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक 04.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त काशी नाथ यादव पुत्र राम अजोर यादव निवासी ग्राम विशौली थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को जोलहापुर मोड़ कस्बा कन्धरापुर से समय करीब 15.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 95/2024 धारा 153A/505(2) भादवि0 व 67 आईटी एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-काशी नाथ यादव पुत्र राम अजोर यादव निवासी ग्राम विशौली थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़उम्र करीब 45 वर्ष

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक श्री सुदेश कुमार सिंह हमराह थाना कंधरापुर आजमगढ़।